न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पश्चिम, मुजफ्फरपुर

भू विवाद वाद सं0- 188/2012-13

श्री शंकर भगत पे. स्व. पहाड़ी भगत
ग्राम बन्दी, पो. साहपुरपट्टी
थाना देवरिया, जिला मुजफ्फरपुर ---------- वादी

बनाम्

श्री हरेन्द्र राय एवं अन्य
ग्राम+पो. मोहब्बतपुर, थाना देवरिया
जिला मुजफ्फरपुर ----------प्रतिवादीगण

-:आदेश फलक:-

24.5.14 **अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित ।**

आवेदक द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध वाद पत्र के अनुसूची I में वर्णित भूमि के संदर्भ में अंचल अमीन से पैमाईश कराने हेतु अंचलाधिकारी पारू तथा स्थानीय थाना देवरिया को आदेश देने की प्रार्थना की गई है इसके साथ-साथ प्रश्नगत भूमि में अनाधिकृत संरचना को हटाने का एवं दखल कब्जा दिलाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है । वाद पत्र के सिड्यूल I में निम्न भूमि का वर्णन है :-

मौजा	अंचल	खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
वन्दी	पारू	125	70	4 डी.	उ.- बिहार सरकार द.- मिश्री महतो पू.- सड़क प.- खेसरा नं. 7 शंकर महतो वगैरह

संक्षेप में अवेदक का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उसे पर्चा से हासिल हुआ है । प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का मकान का दरवाजा, सहन तीन पुश्तों से

है तथा आवेदक का दखल कब्जा पुश्त दरपुश्त चला आ रहा है । विपक्षीगण द्वारा दिनांक 03.10.12 को दखल कब्जा कर लेने से आवेदक का दरवाजा बन्द हो गया है । आवेदक ने दखल कब्जा एवं पर्चा के आधार पर जमाबंदी सुधार हेतु आवेदन अंचल कार्यालय पारू में दिया था जिसमें जॉचोपरान्त जमाबंदी सुधार भी किया गया तथा राजस्व का भूगतान आवेदक द्वारा वर्ष 2010 तक किया जा चुका है । आवेदक का कथन है कि सर्वे खतियान में खेसरा 70 का रकवा गलती से 2, डी. बना है जबकि माप में यह रकवा 4 डी. है । स्थलीय मापी के आधार पर प्राप्त रकवा 4 डी. का पर्चा प्रश्नगत खेसरा में अंचल अधिकारी पारू द्वारा निर्गत किया गया है । विवादित खेसरा 70 के उत्तर खेसरा 72 है । जिसका रकवा 11 डी. है तथा दक्षिण खेसरा 69 है । विवादित खेसरा के उत्तर विपक्षी सं. 1 ने 1 डी. जमीन पर मड़ई रख दिया है तथा विवादित खेसरा के दक्षिण ½ डी. जमीन पर विपक्षी सं. 2 ने जलावन वगैरह रखकर कब्जा कर लिया है । आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि के रकवा 1½ डी. का दखल कब्जा वापसी हेतु एक किता मुकदमा श्रीमान् मुंसिफ, पश्चिमी मुज. के न्यायालय में लाया गया था परन्तु न्यायालय द्वारा यह कहकर मुकदमा खारिज कर दिया गया कि सर्वे खतियान में जब प्रश्नगत खेसरा का रकवा 2 डी. है तो 4 डी. का पर्चा किस आधार पर निर्गत किया गया परिणमतः दीवानी वाद सं. 3/09 श्रीमान् मुंसिफ, प. मुज. के न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया तत्पश्चात् विपक्षीगण ने सिड्यूल 1 की प्रश्नगत भूमि पर कब्जा कर आवेदक के घर में आने-जाने का रास्ता बन्द कर दिया है एवं प्रश्नगत भूमि पर नवीन संरचना खड़ा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है । पहले विपक्षीगण 1½ डी. अन्दर खेसरा 70 पर से आवेदक को बेदखल किये थे परन्तु मुकदमा सं. 3/09 के निर्णय के उपरान्त सम्पूर्ण अराजी 4 डी. से बेदखल कर दिए है । अतः आवेदक को दखल कब्जा दिलाया जाना न्यायोचित होगा ।

आवेदक द्वारा अपने अभिवचन के समर्थन में पर्चा, पासबुक अमीन का नक्शा और रिपोर्ट, राजस्व रसीद, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पश्चिमी, मुज. का पत्रांक 1278 दिनांक 16.12.10 की छाया प्रति अवलोकनार्थ अभिलेख वद्द किया

गया है ।

विपक्षीगण ने उपस्थित होकर अपना आपति पत्र दिनांक 07.01.13 को समर्पित करते हुए संक्षिप्त कथन किया है कि प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं है । आवेदक द्वारा दखल कब्जा की वापसी हेतु एक किता मुकदता 03/09 श्रीमान मुंसिफ प. मुज. के न्यायालय में लाया गया था जो दिनांक 08.08.12 को खारिज हो गया है । उक्त निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरूद्ध आवेदक द्वारा श्रीमान् जिला जज मुज. के न्यायालय में एक अपील सं. 50/12 संस्थित किया गया है। चूँकि प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा विचारण कर निर्णय पारित किया जा चुका है । इसलिए प्रस्तुत वाद अस्वीकृत होने योग्य है । विपक्षीगण की ओर से न्यायालय के अवलोकनार्थ विपक्षी हरेन्द्र राय द्वारा जिलाधिकारी मुज. को दिया गया दिनांक 15.09.12 का आवेदन की छाया प्रति, ग्राम कचहरी मुहब्बतपुर के सरपंच द्वारा मुकदमा सं. 82/12 निर्गत सम्मन की छाया प्रति (दो प्रति में) दीवानी वाद सं. 03/09 में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति की छाया प्रति, अनुमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी मुज. द्वारा धारा 144 द.प्र.स. के नोटिस तथा धारा 107 द.प्र. स. के नोटिस की छाया प्रति, मिश्री लाल महतो द्वारा दिनांक 17.09.12 जिलाधिकारी मुज. को दी गई आवेदन की छाया प्रति, देवरिया थाना कांड सं. 107/12 जी.आर.2128/12 में अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, पश्चिमी मुज. द्वारा पारित ओदश दिनांक 16.10.12 की छाया प्रति, मिश्री लाल महतो द्वारा दिनांक 12. 10.12 को पुलिस महानिरीक्षक प्रक्षेत्र मुज. एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक तिरहुत क्षेत्र को दी गई आवेदन की छाया प्रति, मिश्रीलाल महतो द्वारा अंचलाधिकारी पारू को दिनांक 16.10.12 के आवेदन की छाया प्रति, दीवानी अपील सं. 50/12 का अपील आवेदन की छाया प्रति ।

<u>मंतव्य :-</u>

उभय पक्षों को सविस्तार सुना एवं अभिलेख वद्द साक्ष्यों ने परिशीलन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा के दावा का अधिकार पर्चा वाद सं. 03/90-91 के द्वारा निर्गत पर्चा है । अभिलेख वद्द पर्चा की छाया प्रति में खाता 125 खेसरा 70 का रकवा 4 डी. बताया गया है । दीवानी वाद सं. 03/09 की आज्ञप्ति में सिड्यूल II में प्रश्नगत भूमि का उल्लेख

है । दीवानी वाद सं. 03/09 के निर्णय पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि विद्वान मुंसिफ प. मुज. के द्वारा आवेदक के पक्ष में निर्णय पर्चा के सन्दर्भ में विस्तृत विवेचन कर यह अभिधारित किया गया कि वादी/आवेदक को सिड्यूल 1 की भूमि पर कोई स्वत्व अधिकार, हित एवं दखल कब्जा नहीं रहा है तथा दखली एवं बेदखली की कहानी काल्पनिक है । अभिलेख वद्द अपील आवेदन 50/12 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ओवदक ने विद्वान मुंसिफ प. मुज. के द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति वैधता को जिला जज के न्यायालय में चुनौती दिया है । बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली 2010 की धारा 17(1) के अनुसार आवेदक अधिनियम की अनुसूची 01 में उल्लिखित न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में संधारित कार्यवाही जिनमें मुदे वही है, जो इस अधिनियम के किसी वाद के मुदे हो, का उपशमन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आवेदन खारिज किया जाएगा । आवेदक ने अपने अभिवचन में कही उल्लेख नहीं किया है कि अपील सं. 50/12 जिला जज के न्यायालय में चल रहा है । आवेदक स्वच्छ मंशा से न्यायालय में प्रस्तुत वाद संस्थित नहीं किया है । विद्वान मुंसिफ प. मुज. के द्वारा दखल अथवा बेदखली बिन्दु पर विस्तृत सुनवाई कर निर्णय पारित किया जा चुका है । जिस आदेश के विरूद्ध मामला वर्तमान में भी अपील वाद सं. 50/12 विद्वान जिला जज के न्यायालय में विचाराधीन है । उपरोक्त परिस्थिति में विधि विधान के तहत आवेदक का वाद अस्वीकृत होने योग्य है ।

आदेश

आवेदक का वाद अस्वीकृत किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित

4/5/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
पश्चिम, मुजफ्फरपुर।

4/5/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
पश्चिम, मुजफ्फरपुर ।